।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 29.05.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 29.05.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 04 बंदियों का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन	वि.के.का. श्यालावास	1743/2026	18.05.2026	20.05.2026
जगदीश पुत्र हुकमाराम	वि.के.का. श्यालावास	1201/2026	18.05.2026	20.05.2026
मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ चंदरु	वि.के.का. श्यालावास	1534/2026	18.05.2026	20.05.2026
रोशम खां पठान पुत्र अमीन खां पठान	वि.के.का. श्यालावास	1592/2026	18.05.2026	20.05.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ चंदरु, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 08/2017 अंतर्गत धारा 363,366ए,376(2)(आई) आई.पी.सी. 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 25.03.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1534/2026 मांगीलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 18.05.2026 पारित किया है कि "In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra)."

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025, निर्णय दिनांक 28.10.2025 व संदीप बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 532/2021, निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं 2823/2025 व 532/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 एवं 23.11.2021 की पालना में तत्समय समिति द्वारा इन्हे कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ चंदरु** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी जगदीश पुत्र हुकमाराम, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 बीकानेर केम्प कोर्ट, श्री डूंगरगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 09/2013 अंतर्गत धारा 376(2)(एफ) आई.पी.सी. में दिनांक 24.10.2016 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग

सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376(2)(एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1201/2026 जगदीश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 18.05.2026 पारित किया है कि " In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of and the order rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025, निर्णय दिनांक 28.10.2025 व संदीप बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 532/2021, निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं 2823/2025 व 532/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 एवं 23.11.2021 की पालना में तत्समय समिति द्वारा इन्हे कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जगदीश पुत्र हुकमाराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावासः-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश बेगूं, चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.09.2022 को आजीवन कारावास (मृत्युपर्यन्त) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 23.02.2026 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को धारा 302 आई.पी.सी में मृत्युपर्यन्त कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1743/2026 जाकिर बनाम राजस्थान व अन्य

दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 18.05.2026 पारित किया है कि "We have considered the submissions made at the Bar. We feel that in some what identical situation, this Court in the case of Narendra Singh (supra) has considered the issue for transfer of prisoner to the Open Air Camp and in the present case also the facts are almost similar to the one which was considered in the case of Narendra Singh (supra). However, the authorities have not passed a speaking order with respect to the jail punishment awarded to the petitioner-convict in the preceding two years have not been considered by the Competent Authority, therefore, this Court is of the opinion that the matter deserves to be remanded back to the State Government for reconsideration of the case of the petitioner-convict for his transfer to the Open Air Camp. The writ petition is, therefore, disposed of with a direction to the respondent-State to reconsider the case of the petitioner for his transfer to the Open Air Camp by passing a reasoned and speaking order within a period of six weeks from the date of receipt of the certified copy of this order."

समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (मृत्युपर्यन्त) के दण्ड से दण्डित किया हुआ है, के तात्पर्य अनुसार बंदी शेष जीवन तक कारागृह में निरूद्ध रहकर सजा भुगतेगा।

उक्त न्यायालय निर्णय में अंकित दण्डित बंदी नरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश उर्फ भूरा के अनुसार बंदी जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन के प्रकरण पर कार्यवाही करने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये है। जबकि बंदी नरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश उर्फ भूरा के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये जाने पर इन बंदियों को बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की समिति द्वारा अभिशंषा की गई थी।

समिति का मत है कि बंदी जाकिर हुसैन के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर बंदियों के प्रकरणों की भांति प्रत्यक्ष निर्देश नही दिये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा इस बंदी के प्रकरण में भी उन बंदियों की तरह प्रत्यक्ष निर्देश दिये जाने पर बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने के प्रकरण पर विचार किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी को धारा 302 आई.पी.सी में मृत्युपर्यन्त कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण एवं शेष दण्ड अवधि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णित प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी रोशम खां पठान पुत्र अमीन खां पठान, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को सेशन न्यायाधीश चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 34/2009 (340/2014) अंतर्गत धारा 302/120बी,120बी,460/120बी आई.पी.सी., 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 12.10.2021 को आजीवन कठोर कारावास से दण्डित किया गया था।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय समिति द्वारा बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1592/2026 रोशम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 18.05.2026 पारित किया है कि "In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 07.10.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra)."

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश चितौड़गढ़ के आदेश दिनांक 21.05.2026 से जमानत होने एवं अन्य कोई प्रकरण लम्बित नही होने पर कारागृह से रिहा किया जा चुका है।

अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **दण्डित बंदी रोशम खां पठान पुत्र अमीन खां पठान** की जमानत पर बंदी को कारागृह से रिहा होने की सूचना राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(पी.रामजी)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	अति.महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर